

भारत सरकार
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

लोक सभा
तारांकित प्रश्न सं. 452
02.04.2025 को उत्तर देने के लिए

तमिलनाडु में आंकड़ों के संग्रहण में कठिनाइयां

*452. डॉ. डी. रवि कुमार

क्या सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को वास्तविक स्थिति का आकलन करने के लिए तमिलनाडु के शहरी क्षेत्रों में विशेषकर नियंत्रित पहुंच वाले (गेटेड) परिसरों में रहने वाले समुदायों में उच्च आय समूहों से आंकड़ों का संग्रहण करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है और यदि हां, तो ऐसी विशिष्ट चुनौतियों का ब्यौरा क्या है;

(ख) तमिलनाडु में आंकड़ों के संग्रहण संबंधी ऐसे कार्यों या सर्वेक्षणों का ब्यौरा क्या है जिन पर उच्च आय वाले परिवारों से जानकारी जुटाने में आई कठिनाइयों के कारण प्रभाव पड़ा है;

(ग) इन चुनौतियों से विशेषकर तमिलनाडु में राष्ट्रीय और राज्य-स्तरीय आंकड़ों की सटीकता और प्रतिनिधित्व किस प्रकार प्रभावित होता है या प्रभावित हुआ है; और

(घ) सरकार तमिलनाडु में उच्च आय वाले वर्गों सहित सभी सामाजिक-आर्थिक समूहों से आंकड़ों का व्यापक पैमाने पर संग्रहण सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठा रही है?

उत्तर

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), योजना मंत्रालय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) और संस्कृति मंत्रालय राज्य मंत्री [राव इंद्रजीत सिंह]

(क) से (घ): विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

डॉ रवि कुमार द्वारा पूछे गए दिनांक 02.04.2025 के लोक सभा तारांकित प्रश्न सं. 452 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में संदर्भित विवरण

(क) से (घ): सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (सा.और कार्य. कार्या. मं.) द्वारा किए जा रहे प्रतिदर्श सर्वेक्षण स्वास्थ्य, शिक्षा और आर्थिक नियोजन आदि जैसे विभिन्न क्षेत्रों में सार्वजनिक नीति के संबंध में जानकारी प्रदान करने वाले डेटा एकत्र करने के लिए महत्वपूर्ण हैं। ये सर्वेक्षण अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कुछ दुर्गम गांवों को छोड़कर तमिलनाडु सहित पूरे देश को कवर करते हैं। ये प्रतिदर्श सर्वेक्षण, प्रतिदर्श परिवारों के चयन के लिए वैज्ञानिक प्रतिदर्श डिजाइन का अनुसरण करते हैं, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों के लिए जनसंख्या जनगणना और शहरी क्षेत्रों के लिए शहरी फ्रेम सर्वेक्षण से क्रमशः उपलब्ध गांवों और ब्लॉकों से युक्त क्षेत्र फ्रेम का उपयोग करके प्रतिदर्श का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जा सके।

बड़े पैमाने पर किए जाने वाले प्रतिदर्श सर्वेक्षणों में प्रायः व्यावहारिक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जिसमें उच्च आय वर्ग, नियंत्रित पहुँच वाले (गेटेड) परिसरों और हाई-राइज आवासीय सोसायटियों से प्रतिक्रिया न मिलना एक प्रमुख मुद्दा है। ऐसा तब होता है जब चयनित प्रतिदर्श अपेक्षित जानकारी प्रदान करने में असफल हो जाते हैं या उपयोग में न आने वाले डेटा प्रस्तुत करते हैं, जिससे गैर-प्रतिदर्श त्रुटियाँ होती हैं। उच्च आय वर्ग और गेटेड सोसायटियों में प्रतिक्रिया न देना विशेष चुनौतियाँ प्रस्तुत करता है, क्योंकि इन उत्तरदाताओं के सर्वेक्षण में भाग लेने की विशिष्ट प्रेरणाएं और बाधाएं होती हैं।

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय का उद्देश्य सहयोग को बढ़ाना, विश्वास बनाना तथा आंकड़ों की सटीकता और व्यापकता में सुधार करना है, क्योंकि प्रतिक्रिया न देना का समाधान करना, ऐसे वास्तविक आंकड़े प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण है जो सामाजिक प्रवृत्तियों और आवश्यकताओं को सटीक रूप से प्रतिबिंबित करते हैं।

चयनित परिवारों से सहयोग न मिलने की स्थिति में, प्राथमिक डेटा संग्रहण में लगे क्षेत्रीय अधिकारी समस्या के समाधान और परिवारों की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए व्यावहारिक प्रयास करते हैं, जैसे कि सूचना देने वाले को आवश्यक जानकारी और दस्तावेज देकर राजी करना, सर्वेक्षण को सुचारू रूप से संचालित करने हेतु सहायता और सहयोग जुटाने के लिए क्षेत्रीय स्तर पर स्थानीय पुलिस स्टेशन/जन प्रतिनिधियों/आरडब्ल्यूए के साथ संपर्क करना, सर्वेक्षण के उद्देश्य और उपयोगिता के बारे में स्थानीय स्तर पर विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम संचालित करना, डेटा की गोपनीयता के बारे में आश्वासन देना आदि। हालाँकि, यदि किसी कारणवश चयनित परिवार का सर्वेक्षण नहीं किया जा सका, तो चयनित परिवार को उसी प्रतिदर्श के भीतर किसी अन्य परिवार से प्रतिस्थापित कर दिया जाता है।

हाल ही में, डेटा गोपनीयता प्रथाओं के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देने और साक्ष्य-आधारित नीति निर्माण के लिए सर्वेक्षण भागीदारी के महत्व को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने प्रतिदर्श सर्वेक्षणों में गैर-प्रतिक्रिया के मुद्दे को संबोधित करने के लिए सितंबर 2024 में एक विचार-मंथन सत्र आयोजित किया, जिसमें नीति निर्माताओं, शहरी अर्थशास्त्रियों, सर्वेक्षण एजेंसियों, नियामक

निकायों और रियल एस्टेट क्षेत्र की सेवा एजेंसियों, आवासीय कल्याण संघों (आरडब्ल्यूए) और गेटेड सोसायटियों के प्रतिनिधियों, देश के विभिन्न भागों से आवास सोसायटियों के प्रतिनिधियों, विश्व बैंक और आईएलओ जैसे बहुपक्षीय संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ-साथ राज्य सांख्यिकीय एजेंसियों के अधिकारियों सहित प्रमुख हितधारकों को एक साथ एक मंच पर लाया गया। विचार-मंथन सत्र में गैर-प्रतिक्रिया के हाल के रुझानों, डेटा की गुणवत्ता पर उनके प्रभाव, तथा उच्च आय समूहों के बीच सर्वेक्षण में भागीदारी बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी और अनुकूलित नीतियों का लाभ उठाने पर चर्चा के लिए प्रस्तुतियां दी गईं। उच्च आय वर्ग में गैर-प्रतिक्रिया के मुद्दे के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की गई, ताकि मूल्यवान डेटा का योगदान करने के लिए नीति विकसित की जा सके और प्रतिक्रिया नहीं देने वाली लक्षित आबादी के बीच डेटा और गोपनीयता नीतियों के महत्व के बारे में उन्हें शिक्षित करके विश्वास का निर्माण किया जा सके।
